

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मेडिकल एण्ड हेल्थ/2019-20/6912-23 दि. 12.3.2020
परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय- जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं के विकास हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग- आपका पत्रांक 6552-54 दिनांक 20.02.2020

संदर्भ-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर का पत्रांक 1254 दिनांक 15.02.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र संदर्भित पत्र क्रम में चिकित्सा सुविधा उपकरणों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है-

क्र.सं.	उपकरण का नाम	संख्या	दर	कुल राशि (रूपयों में)
1	Dental Chair (CHC Lasadiya & Rishabhdev. UDAIPUR)	2	100000	200000
	TOTAL			200000

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय शासन से प्राप्त स्वीकृति संख्या 43/2019-20 दिनांक 08.11.2019 में प्राप्त राशि रु. 200.00 लाख में से 2.00 लाख की निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को होगी। परियोजना अधिकारी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर को नियमानुसार राशि हस्तान्तरण करेंगे।

- यदि उक्त उपकरणों के क्रय की स्वीकृति अन्य किसी योजना/विभाग द्वारा स्वीकृत की गई हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय का उत्तरदायित्व कार्यकारी एजेन्सी का होगा।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदा आमंत्रित कराई जावें ताकि मूल लागत में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यों का निष्पादन किया जावे तथा प्रगति से इस विभाग को अवगत करावें।
- उपकरणों का क्रय विषय विशेषज्ञों की देख-रेख में पूर्ण गुणवत्तापूर्वक किया जावेगा।
- उपकरण स्थापित करने के पश्चात रख रखाव व संचालन से संबंधित व्यय चिकित्सा विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
- उपकरण क्रय करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावें।

कृपु.उ.

7. उपकरण कहां कहां पर लगेंगे तथा उपकरण खरीदने से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

sr

(शिवांगी स्वर्णकार)IAS

आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मेडिकल एण्ड हेल्थ/2019-20/6912-23 दि. 12.3.2020
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या 43/2019-20 दिनांक 08.11.2019 से प्राप्त राशि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु रु. 2.00 लाख में से परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तांतरण करावें।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
9. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad@gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in